दहेज हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार

कार्रवाई

- शनिवार को भिनगा के राजापुर निवासी महिला की हुई थी संदिग्ध मौत
- मृतका के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर लगाया था दहेज हत्या का आरोप

श्रावस्ती,संवाददाता। तीन दिन पूर्व हुई महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत तीन लोगों के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। सोमवार को पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

कोतवाली क्षेत्र भिनगा के ग्राम राजापुर निवासी लक्ष्मी मौर्या (22) पत्नी हरदयाल की शनिवार शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता जगजीवन पुत्र मोतीलाल निवासी पूरेखैरी (पटेल नगर) ने कोतवाली भिनगा में तहरीर देकर बताया था कि उसने अपनी पुत्री लक्ष्मी की शादी हरदयाल पुत्र रामतीरथ के साथ ही थी। शादी में ही लक्ष्मी की विदाई हुई और वह ससुराल चली गई। ससुराल में जाते ही पति, सास व ससुर अतिरिक्त दहेज के रूप में एक मोटरसाइकिल, सोने की अंगूठी व एक लाख रुपये नकद मांग कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराली जनों ने लक्ष्मी को जान से खतम कर दिया।

गांव के लोगों से फोन के माध्यम से शनिवार को सूचना मिली कि तुम्हारी पुत्री की तबियत खराब है जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया है। सूचना पर पिता अन्य परिजनों के साथ जिला अस्पताल पहुंचा तो वहां बेटी को मृत पाया।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति हरदयाल, ससुर राम तीरथ व सास समेत तीन लोगों के विरुद्ध वांछित धाराओं में मामला दर्ज किया है। सोमवार को भिनगा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक जीतेन्द्र कुमार सिंह ने पुलिस टीम के साथ दहेज हत्या के आरोपित पति हरदयाल मौर्य पुत्र रामतीरथ निवासी राजापुर को मुखबिर की सूचना पर भिनगी तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को थाने लाकर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक के साथ कस्बा चौकी प्रभारी लाल जी पासवान, आरक्षी ज्ञानचन्द व आरक्षी प्रमोद कुमार शामिल रहे।